सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 फरवरी, 2020

षोडश विधान सभा — सोमवार, तिथि 24 फरवरी, 2020 ई0
पंचदश सत्र — 05 फाल्गुन, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण यानी इज्जत माआब अराकीने असेम्बली,

सोलहवीं बिहार कानूनसाज असेम्बली के 15वीं इजलास के इप्तिदा के मौके पर मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, ख़ैरमकदम करता हूँ । यह एक तबील इजलास है और इसमें 22 नशिस्तें यानी बैठकें होंगी । महामहिम गवर्नर साहब के खिताब पर शुक्रिया की तजवीज पर मशाविरत होगी । फिर माली साल 2020-21 का बजट पेश किया जायेगा और मुख़्तलिफ महमकों के मुतालबात पर बहस होगी जिसमें उनके इल्तजामात पर तफ्सील से गौरोख़ौज करने के मौके आपको फराहम होंगे । कानूनसाज़ी के सरकारी काम के अलावा आप अराकीन के प्राइवेट अहद यानी गैर सरकारी संकल्प भी लिए जाएंगे ।

मुअज्जज अराकीन,

जम्हूरियत में आवाम ही इक्तिदारे आला होती है और आवाम अपने इस इख्तियार और ताकत का इस्तेमाल अपने नुमाइंदों के जरिए से करती है । हम सभी खुशनसीब हैं कि आवाम ने अपना नुमाइंदा मुंतखब कर हमें इस ऐवान तक पहुँचाया है । जाहिरी तौर पर, आवाम की उम्मीद होती है कि हम उनके फलाहो बहबूद के लिए कानूनसाजी करें और उनके मफाद में मंसूबों की अमल-आवरी करें ।

(व्यवधान)

इस ऐवान का हर रूक्न, चाहे वह हिज्बे इक्तिदार का हो या हिज्बे मुखालिफ से हो - उसका मकसद और निशाना एक ही होता है और वह होता है, सूबे की आवाम की तरक्की और कौमी मफाद ।

यह इजलास इस लिहाज से खास है कि बिहार कानूनसाजिया के इस इमारत, जिसमें हम-आप सभी बैठे हैं, इसकी तामीर के सौ साल पूरे हो चुके हैं । 1920 में तामीरशुदा इस ऐवान की दरो दीवार, गुजिश्ता सौ सालों में बेशुमार तारीख़ी और यादगार लम्हों का गवाह रही है । इसने कानूनसाजी के ऐसे-ऐसे मुकाम देखे हैं जो न सिर्फ सूबे में समाजी तौर पर इन्किलाबी साबित हुए हैं, बल्कि मुख़्तलिफ शोबों में तो पूरे मुल्क की रहनुमाई की है ।

दूसरी तरफ, आप वाकिफ़ हैं कि जंगे आजादी के दरम्यान हुए जलियांवाला बाग के अलमनाक वाकये के भी सौ साल पूरे हुए हैं । इसने पूरे मुल्क में अंग्रेजी हुकूमत के मुख़ालफत के जज्बे में उबाल पैदा कर दी थी । इस खातिर, आज ही 4:00 बजे अपराह्न में यानी दोपहर बाद सेन्ट्रल हॉल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें आप सब के शिरकत के हम मुतमन्नी हैं ।

मोहतरम मेम्बरान,

मौजूदा पॉच साला असेम्बली के मियाद के आखिरी साल में हम दाखिल हो चुके हैं । इमकान है कि एक और इजलास होगा । हमारे आइनसाजों ने इस ऐवान को बाहमी मशविरे के मरकज के रूप में मुनज्जम किया है । वाजेह है कि हम जितनी ही संजीदगी से मशविरा और बहस-मुवाहिसा करेंगे उतना ही पुरअसर आवामी मफाद के नतीजे आएँगे । इस सूरत में, इस मुकद्दस ऐवान की वकार-ओ-रिवायात बरकरार रखने के साथ इसमें आवाम का एमताद मुश्तकिल रखने की ख़ातिर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इजलास की कार्रवाई, पुरअम्न चलाने में आप सभी अराकीन का ताऊन मुसल्सल मिलता रहेगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये न ! बैठ जाइये ।

माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल एतद् द्वारा एक साथ समवेत् बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को 24 फरवरी, 2020 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूँ और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल, पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ ।

(वेल में व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे पूर्वाह्न में दोनों सदनों के सदस्यों की सह-समवेत् उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में होगा । महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने एवं सेन्ट्रल हॉल तक उनकी अगवानी करने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा । माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थान पर आयेंगे । इस बीच आप सभी माननीय सदस्यगण चलकर सेन्ट्रल हॉल में अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे ।

अत: आप सभी माननीय सदस्यगण महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेन्ट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना-अपना स्थान पुन: ग्रहण कर लेंगे । अब आगे की कार्यवाही सेन्ट्रल हॉल में होगी ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय को लाने हेतु गये)

(इस अवसर पर विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सभापति महोदय द्वारा आसन ग्रहण किया गया)

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहां एकत्रित हैं । अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाय ।

(महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान-मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत
अधिवेशन में
बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री फागू चौहान

का

अभिभाषण

24 फरवरी, 2020

बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण

मैं नए वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में आपको वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने हैं। बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

राज्य सरकार ने सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के सिद्धान्त को लागू करते हुए राज्य के विकास के लिए सार्थक प्रयास किये हैं। विकास और कल्याण के पथ पर सभी क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य सरकार के द्वारा समावेशी एवं विकेन्द्रीकृत विकास की नीति अपनाई गई है। बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त सुशासन के कार्यक्रम सम्पूर्ण राज्य में लागू किये गये हैं।

राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून का राज स्थापित कर लोगों को भयमुक्त समाज प्रदान करने की रही है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप अपराध नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है। पुलिस तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि वे दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक कर सकें। यह सरकार के संकल्प का ही परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द्र एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2018 के अपराध आंकड़े के अनुसार दर्ज संज्ञेय अपराधों की राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख जनसंख्या पर 383.5 की तुलना में बिहार में मात्र 222.1 है। अपराध दर के आधार पर देश के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की तुलना में बिहार का स्थान 23वां है।

राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय मानक पर पहुंचाने के लिए वर्ष 2019 में 30 पुलिस उपाधीक्षकों, 1608 अवर निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है। साथ ही 13 हजार 188 सिपाहियों एवं 1722 चालक सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। बेहतर पुलिस व्यवस्था के निमित्त बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के 43 अनुमंडलों में अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेन्स की रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019 में ट्रैप से संबंधित 41 मामले, प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित 6 मामले, पद के दुरूपयोग से संबंधित 7 मामले सहित कुल 54 कांड दर्ज किये गये हैं। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत अवैध अर्जित सम्पत्ति के अधिहरण हेतु विशेष न्यायालयों में 85 वाद दायर किए गए हैं, जिसमें लगभग 81 करोड़ रूपये से अधिक की राशि निहित है।

बिहार में अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध परिसम्पत्तियों की जब्ती हेतु प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत् कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2019 में दुर्दान्त अपराधियों द्वारा अर्जित करीब 35 करोड़ 59 लाख रूपये मूल्य की अपराध जनित परिसम्पत्तियों को उक्त नियम के

तहत् अधिहरण करने हेतु प्रस्ताव प्रवर्त्तन निदेशालय को प्रेषित किया गया है तथा 2019 में जाली नोट तस्कर से करीब 41 लाख 85 हजार रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियों का अधिहरण किया गया है।

प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचनाओं को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के साथ–साथ राज्य के नागरिकों को कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाने की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। प्रशासन के निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या के निदान के लिए बिहार लोक सेवा अधिकार कानून के अंतर्गत अद्यतन 22 करोड़ 94 लाख आवेदनों का निष्पादन कर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएँ एक नियत समय–सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को लागू कर लोगों को उनके परिवाद पर सुनवाई के साथ–साथ नियत समय–सीमा में इसके निवारण का भी कानूनी अधिकार दिया गया है। अब तक 6 लाख 18 हजार 188 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों/पदाधिकारियों के सेवा एवं सेवान्त लाभ संबंधित शिकायतों की सुनवाई तथा निवारण करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा 26 जून, 2019 को बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण अधिकार प्रणाली को लागू किया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत दिसम्बर, 2019 तक 1 हजार 193 सेवा एवं सेवान्त लाभ संबंधी शिकायतों का सफलतापूर्वक निष्पादन भी किया जा चुका है। लोकहित में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से "**लोक संवाद**" के माध्यम से लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिससे राज्य सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों का संवर्द्धन कर रही है।

इन दिनों जलवायु परिवर्तन सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। पूर्व में पर्यावरण भी संतुलित था, नदियों का जल भी साफ था, आबादी भी कम थी। धीरे–धीरे आबादी बढ़ती गई विज्ञान एवं तकनीक का विकास हुआ। इस विकास का हानिकारक प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ा है। इसका असर ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के रूप में दिखने लगा है, जिससे कहीं असमय वर्षा, कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़ की समस्या, आँधी–तूफान की बढ़ती तीव्रता जैसी समस्याएँ दिख रही हैं। मानसून पैटर्न बदल रहा है। बिहार में भी कम और अनियमित वर्षापात, वर्षा में लंबा अंतराल तथा अचानक भारी वर्षा जैसी स्थितियाँ हो रही हैं। बिहार को बाढ़ और सुखाड़ के हालात का सामना करना पड़ रहा है। अल्प वर्षापात के कारण भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्ष 2019 में दक्षिणी बिहार के जिलों के साथ उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भी जल स्तर में गिरावट आयी है।

राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन एवं उसके बढ़ते दुष्परिणामों को प्रकृति की चेतावनी माना है तथा इसके समाधान हेतु दिनांक 13.07.2019 को विधान मंडल के सदस्यों की संयुक्त बैठक आयोजित की गयी जिसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या एवं इसके समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2019 से जल–जीवन–हरियाली अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 24,524 करोड़ रुपये की योजनाओं को मिशन मोड में क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा इसके अनुश्रवण एवं परामर्श की संस्थागत व्यवस्था की गई है। जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयव शामिल है। जल–जीवन–हरियाली जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत 19 जनवरी, 2020 को राज्य में 18 हजार

किलोमीटर से अधिक लम्बी मानव श्रृंखला बनी जिसमें 5 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने भाग लेकर पर्यावरण के संरक्षण के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में बनी यह ऐतिहासिक मानव श्रृंखला विश्व में किसी भी मुद्दे पर बनी, अब तक की सबसे लम्बी मानव श्रृंखला है। यह श्रृंखला नशा मुक्ति के पक्ष में तथा दहेज प्रथा एवं बाल–विवाह के खिलाफ में भी थी। इसके माध्यम से बिहार की जनता ने न सिर्फ देश को बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया है।

7 निश्चय के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तत्परता के साथ किया गया है। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था फरवरी, 2016 से ही लागू कर दी गई है।

राज्य के हर इच्छुक परिवार को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया हैं। बिजली के सभी क्षेत्रों में यथा उत्पादन, संचरण, वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। राज्य में कृषि कार्य हेतु 1312 पृथक् फीडरों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 1119 का निर्माण किया जा चुका है और शेष का कार्य जारी है। यह बिजली में हुए सुधार का ही नतीजा है कि वर्ष 2005 में बिजली की आपूर्ति जहाँ 700 मेगावाट थी वह अब बढ़कर 5 हजार 891 मेगावाट से अधिक हो गयी है।

बिहार की नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 319 सरकारी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाई–फाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रूपए के वेंचर कैपिटल फंड का प्रावधान एवं इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना की गयी है।

प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेकनिक संस्थान, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जी.एन.एम. संस्थान, पैरा–मेडिकल संस्थान तथा प्रत्येक अनुमण्डल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं ए.एन.एम. संस्थान की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में 11 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है तथा सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की कार्रवाई की जा रही है।

शहर एवं गाँवों के सभी घरों में नल का जल देने का काम तथा सभी घरों तक पक्की नाली–गली का निर्माण भी इस वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत सम्पर्क विहीन टोलों को इस वर्ष पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा।

'शौचालय निर्माण, घर का सम्मान' के अन्तर्गत इस वर्ष तक पूरे बिहार को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है।

राज्य के योजना उदव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जिससे राज्य के विकास एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। राज्य के बजट का आकार बढ़कर वर्ष 2019–20 में 2 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। वर्ष 2019–20 में राज्य का कुल राजकोषीय घाटा 16 हजार 101 करोड़ रूपए अनुमानित है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.81 प्रतिशत है। यह बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के निर्धारित अधिसीमा के अधीन है।

राज्य के समग्र विकास में मानव विकास की विशिष्ट भूमिका है। राज्य सरकार ने मानव संसाधन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए शिक्षा पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एव अन्य कई योजनाएँ लागू की गई वहीं दूसरी ओर विद्यालयों के आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया। राज्य में 21 हजार 264 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये, 19 हजार 625 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। 15 हजार 56 नये प्राथमिक विद्यालय भवन एवं 2 लाख 76 हजार 518 अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाये गये। सभी विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल की सुविधा प्रदान की गयी। साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। सरकार के अथक प्रयास से आज स्कूल से बाहर रहने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या 12.5 प्रतिशत से घटकर एक प्रतिशत से भी कम हो गई है। बालिका एवं बालक साईकिल, पोशाक एवं छात्रवृत्ति योजनाएँ छात्र–छात्राओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सरकार के सफल प्रयासों के फलस्वरूप बालिका शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अब मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के लगभग बराबर हो गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे बिहार में उन्नयन बिहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग–9 एवं 10 के लिए स्मार्ट वर्ग कक्ष स्थापित कर छात्र/छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 5726 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो गया है तथा शेष पंचायतों में भी वर्ग 9 कक्षा की पढ़ाई अप्रैल, 2020 से आरंभ की जाएगी। राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षकों की त्वरित नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है।

बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ सुगमतापूर्वक समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है तथा विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

अब स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में विशिष्ट चिकित्सा हेतु आधारभूत संरचना का विकास एवं कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता पर काम किया जा रहा है ताकि लोगों को राज्य में ही आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध हो सके। इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु कुल बेड की संख्या 2 हजार 732 किये जाने की योजना है। पी०एम०सी०एच०, पटना को 5462 बेड के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। एन०एम०सी०एच०, एस०के०एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर को 2500 बेड तथा ए०एन०एम०सी०एच० (अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल), गया को 1500 बेड करने की योजना है। साथ ही राज्य में 11 नये चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की योजना पर काम चल रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 400 बेड के अत्यन्त विशिष्ट अस्पताल–सह–ट्रॉमा सेन्टर का स्थापित किये जाने की योजना के तहत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के परिसर में 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा यूनिट के

भवन निर्माण एवं मरीजों के परिजनों के लिए धर्मशाला निर्माण के काम को अप्रैल, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। आई0जी0आई0एम0एस0 में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा प्रारंभ हो गई है तथा पी0एम0सी0एच0 में भी इसकी स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आई0जी0आई0एम0एस0 में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना की जा रही है। साथ ही परमाणु ऊर्जा आयोग, मुम्बई एवं टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई के सहयोग से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में एक विशिष्ट कैंसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है। इससे उत्तर बिहार सहित राज्य में कैंसर के मरीजों को राज्य में ही कैंसर का विशिष्ट इलाज उपलब्ध हो सकेगा।

मातृ मृत्यु अनुपात एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने एवं टीकाकरण के आच्छादन को बढ़ाने हेतु विभिन्न माध्यमों से विविध प्रकार के पहल किये जा रहे हैं, जिसका प्रतिफल है कि कुल मातृ मृत्यु अनुपात जो 2011–13 के अनुसार 208 था, 2014–16 में घटकर 165 हो गया है तथा वर्ष 2016 के अनुसार प्रतिवेदित शिशु मृत्यु दर जो 38 थी, 2017 के अनुसार वर्तमान में घटकर 35 हो गयी है। टीकाकरण का आच्छादन अब बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है।

राज्य की आधारभूत संरचना का विकास सरकार की प्राथमिकता रही है। बिहार में वृहद, जिला एवं ग्रामीण सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, राज्य के सुदूर क्षेत्र से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने की योजना पर काम चल रहा है। आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ–साथ राज्य में उच्च पथों, वृहद जिला पथों तथा ग्रामीण पथों का भी अनुरक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही इन पथों के संधारण को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाया गया है, ताकि लोगों को अपनी सड़कों का अनुरक्षण करवाने का अधिकार दिया जा सके। अब सरकार की नीति है कि चाहे सड़क हो या पुल अथवा भवन सभी के निर्माण के साथ मेंटेनेंस की भी व्यवस्था साथ में लागू की जायेगी।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 3 हजार 451 किलोमीटर राज्य उच्च पथों को 2 लेन के मानक पथों के रूप में निर्माण कराया गया है तथा राज्य योजना मद अन्तर्गत 1 हजार 55 किलोमीटर पथों का नवीकरण/उन्नयन किया गया। वित्तीय वर्ष 2006 से अब तक 16 हजार 136 किलोमीटर से अधिक लम्बाई के वृहद जिला पथों का चौड़ीकरण/उन्नयन कराया गया है। पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा प्रणाली के तहत् राज्य के कुल 13 हजार 63 किलोमीटर पथांश लम्बाई का 7 वर्षों के लिए संधारण पर कुल लागत राशि 6 हजार 654 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2019–20 तक 12 हजार 896 करोड़ रूपये की लागत पर 1 हजार 948 अदद् वृहद्/लघु पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। मुख्यमंत्री सेतु योजना के अन्तर्गत अबतक 3 हजार 378 करोड़ 55 लाख रूपये की लागत पर कुल 5 हजार 141 योजनाएँ पूर्ण की गयी।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए इन क्षेत्रों में उन्नत कोटि की बारहमासी सड़कों का निर्माण होना प्रमुख है। मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अबतक 1 हजार 711 किलोमीटर पथ तथा 25 पुलों का निर्माण कराया गया है। ग्रामीण पथों के निर्माण में नवोन्मेष तकनीकी का उपयोग कर अबतक 2 हजार 443 किलोमीटर पथों का निर्माण कराया गया है।

भवन निर्माण विभाग द्वारा राज्य के कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजगीर अन्तरराष्ट्रीय खेल अकादमी–सह–क्रिकेट स्टेडियम, बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र, पटना में प्रकाश पुंज भवन, विधान सभा के माननीय सदस्यों के आवास, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, पटना में ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी, गया में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण कार्य, द्वारिका (नई दिल्ली) में बिहार सदन, बेतिया एवं मोतिहारी में 2000 क्षमता का प्रेक्षागृह, बिहार लोक सेवा आयोग के नये भवन का निर्माण कार्य, दरभंगा में तारामंडल का निर्माण कार्य तथा सिंचाई भवन का आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है। पटना के गर्दनीबाग/शास्त्रीनगर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन, पटना में बापू टावर तथा विश्वेश्वरैया भवन एवं विकास भवन के आधुनिकीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में जल–जमाव की समस्या को दूर करने हेतु नगर निकायों में जल निकास की संरचनाओं के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। इसके अन्तर्गत 41 नगर निकायों में जल निकास की योजना स्वीकृत की गयी है। राज्य के 39 नगर निकायों में बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है, जिसमें से 25 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पटना नगर निगम एवं आस–पास के शहरी क्षेत्रों को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना पर कार्य किया जा रहा है। पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु 13 हजार 365 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली मेट्रो रेल निगम को कार्य आवंटित किया गया है तथा इसके लिए आरंभिक कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

बिहार की 89 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है और 76 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों पर आश्रित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा कृषि रोड मैप बनाकर कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की बदौलत कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही प्रत्येक भारतीय के थाल में बिहार का एक व्यंजन पहुँचाने के संकल्प को नई दिशा मिली है। कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं राज्य के किसानों के कठिन मेहनत के परिणामस्वरूप वर्ष 2017–18 के लिए गेहूँ एवं वर्ष 2016–17 के लिए मक्का के उत्पादन तथा उत्पादकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

जलवायु परिवर्तन का राज्य की खेती पर भी असर पड़ रहा है। इस समस्या के आने वाले दिनों में और भी अधिक गहराने की आशंका को देखते हुये मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इसके अंतर्गत मौसम अनुकूल फसल चक्र के विकास, वैकल्पिक फसलों एवं फसल उत्पादन के नई तकनीकों के उपयोग तथा किसानों को इससे संबंधित प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, बॉरलौग इन्स्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया, पूसा एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूर्वी क्षेत्र, पटना के माध्यम से 8 जिलों में किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा

गंगा नदी के किनारे के जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए 155 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया है।

फसल अवशेष (पराली) को खेतों में जलाना बिहार में भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसका मुख्य कारण फसल कटनी में कम्बाइन्ड हार्वेस्टर का उपयोग है। फसल अवशेष जलाने से हो रहे नुकसान से बचने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में सहायक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है तथा फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभाव एवं प्रबंधन के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

कृषि रोड मैप के तहत कृषि विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किसानों के ऑन लाईन पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है तथा विभिन्न प्रकार के अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में दी जा रही है। कृषि विभाग की वेबसाईट पर 1 करोड़ 13 लाख किसान पंजीकृत हो चुके हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभिन्न प्रकार के टीकाकरण अभियान के तहत 4 करोड़ 95 लाख पशुओं तथा 51 लाख भेंड़–बकरियों को टीकाकृत किया गया है। हाजीपुर में 30 मीट्रिक टन प्रति दिन क्षमता का दुग्ध पाउडर संयंत्र स्थापित किया गया है।

किसानों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ–साथ उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी दिलाया जा रहा है। राज्य में धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति पैक्सों एवं व्यापार मंडल के माध्यम से की जा रही है, जिसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑनलाईन माध्यम से उनके खातों में अन्तरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिमाह कुल 4 लाख 57 हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नों का उठाव एवं वितरण किया जाता है। वर्ष 2019–20 तक गोदाम भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 11 लाख 8 हजार मेट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2018 के लिए कुल 4 लाख 53 हजार किसानों को 3 अरब 68 करोड़ 65 लाख रूपये की सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है। रब्बी 2018–19 के लिए 1 लाख 80 हजार 667 किसानों को 74 करोड़ 40 लाख रूपये की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। खरीफ–2019 मौसम हेतु 24 लाख 94 हजार 495 किसानों का निबंधन किया जा चुका है तथा निबंधित किसानों में से प्रभावित किसानों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

राज्य के विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी सुविधा बढ़ाने हेतु बड़ी योजनाओं के साथ–साथ छोटी योजनाओं का भी कार्यान्वयन कराया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में कुल 77 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नये सिंचाई सृजन एवं 1 लाख 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

लघु जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में 202 आहर पईन/तालाब तथा वीयर योजनाओं में से 189 योजनाएँ पूर्ण की गयी हैं तथा शेष योजनायें भी 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुकी हैं। इन सभी योजनाओं से 60 हजार 352 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। वित्तीय

वर्ष 2019–20 में 978 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 413 सतही सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से "बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016" लागू की गयी है। इस नीति के तहत अबतक कुल 1 हजार 358 प्राप्त आवेदनों में से 1 हजार 192 इकाइयों को स्टेज–1 क्लियरेंस तथा 302 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से अबतक 205 इकाइयाँ कार्यरत हो गई हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत अबतक 3 हजार 641 लाभुकों को प्रशिक्षित कर प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में 93 करोड़ 76 लाख रूपये वितरित किये गये हैं। इस योजना को विस्तारित करते हुए इसके अन्तर्गत अब अतिपिछड़े वर्ग को भी लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है तथा अब इस योजना का नामकरण मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा उद्यमी योजना किया गया है। राज्य में खादी को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पूर्वी गाँधी मैदान, पटना में भारत का सबसे बड़ा एवं प्रथम खादी मॉल खोला गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 25000 वर्गफीट है। इसके अतिरिक्त खादी पार्क गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं छपरा में तथा लेदर पार्क मुजफ्फरपुर में निर्माण कराया जा रहा है।

राज्य सरकार महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु हमेशा तत्पर है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत अब तक 77 लाख 28 हजार पेंशनधारियों को उनके बैंक खातों में पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ से वंचित हो जा रहे थे। उन वंचित वृद्धजनों को पेंशन का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र या उससे अधिक सभी आय वर्ग की सभी महिलाओं एवं पुरूषों, जिन्हें कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं है, को पेंशन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 14 लाख 7 हजार 420 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया है।

राज्य सरकार ने समावेशी विकास के लक्ष्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। सरकार की रणनीति उन सभी नागरिकों को सशक्त बनाने की रही है, जो तुलनात्मक रूप से वंचित हैं और हाशिए पर हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिपिछड़े एवं पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा बच्चों की शिक्षा, कौशल एवं आर्थिक विकास पर बल देते हुए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

राज्य में 'महिला सशक्तीकरण नीति' लागू की गयी है। महिला सशक्तीकरण हेतु सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के निर्वाचन तथा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त महिला पुलिस थानों की स्थापना, महिला बटालियन का गठन तथा पुलिस सब–इंस्पेक्टर एवं कॉन्सटेबल की नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राज्य की गरीब एवं वंचित समुदाय की महिलाओं के समेकित विकास, आमदनी एवं बचत को बढ़ावा देने, संस्था और क्षमता का निर्माण करने एवं वित्तीय समावेशन के लिए राज्य में जीविका कार्यक्रम लागू है। जीविका के तहत् अब तक 9 लाख 15 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा इससे 1 करोड़ 5 लाख से अधिक परिवार जुड़ गये हैं। अबतक 58 हजार 700 से अधिक ग्राम संगठन तथा 977 संकुल

स्तरीय संघ गठित हो चुके हैं। बैंकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 10 हजार 500 करोड़ रूपये वित्तीय पोषण उपलब्ध कराया गया है।

राज्य में बालिकाओं के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन पर आधारित "मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना" आरंभ की गई है। इस योजना के तहत परिवार में दो बच्चों तक कन्या के जन्म पर 2 हजार रूपये, एक वर्ष की आयु पूरा करने तथा आधार पंजीयन कराने पर 1 हजार रूपये तथा 2 वर्ष की आयु पूरा होने पर कन्या के सम्पूर्ण टीकाकरण कराने पर 2 हजार रूपये अभिभावक को दिये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2019 में उत्तीर्णता प्राप्त सभी कोटि की अविवाहित 2 लाख 96 हजार 232 छात्राओं तथा मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रति छात्रा 25 हजार रूपये की दर से कुल 42 हजार 18 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। पोशाक योजना एवं सैनेटरी नैपकिन हेतु राशि बढ़ाई गई है।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। राज्य के अत्यंत निर्धन परिवार जो हाशिए पर हैं तथा वैसे परिवार जो देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन में पारम्परिक रूप से जुड़े हुए थे, उन्हें वैकल्पिक रोजगार के साधन, क्षमता के निर्माण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना लागू की गई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों की आधारभूत संरचना तथा अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। अनेक नये छात्रावासों का भी निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि वैसे सभी छात्रावास जिनका भवन जर्जर हो गया है, उनके स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नये भवन का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति के 19 छात्रावासों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 720 आसन के अनुसूचित जाति के 4 तथा अनुसूचित जनजाति के 2 आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा इन तीनों विभागों के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से "छात्रावास अनुदान" तथा 15 किलो "मुफ्त खाद्यान्न" प्रतिमाह दिया जा रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उन छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके स्वयं की आय सहित माता/पिता/अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय 1.50 लाख रूपये तक है, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत यह अधिसीमा 2.50 लाख रूपये तक की है। इसको ध्यान में रखते हुए 1.50 लाख रूपये से अधिक एवं 2.50 लाख रूपये तक की स्वयं की आय सहित माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं को भी राज्य सरकार द्वारा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है।

जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से छूट गया है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अति पिछड़े वर्ग के वैसे लाभुक जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1996 के पूर्व समूहों में सरकारी योजनाओं के तहत आवास का निर्माण कराया गया था, जो अब टूट गया है वैसे लोगों के लिए "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" लागू की गई है और इसके अन्तर्गत आवास निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़े वर्ग के लोगों के वास भूमि क्रय हेतु "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" लागू की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास तथा लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के 3 अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 2 अतिपिछड़े वर्ग के योग्य लाभार्थियों को वाहनों की खरीद पर क्रय मूल्य की 50 प्रतिशत राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रूपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 20 हजार लाभुकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु पचास हजार रूपये एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एक लाख रूपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब तक 4,694 अभ्यर्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है।

राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बहुमुखी विकास हेतु कृतसंकल्पित है। अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकार पूर्व से छात्रवृत्ति, मेधावृत्ति, शिक्षा ऋण, रोजगार ऋण, कौशल विकास, परित्यक्ता सहायता, कोचिंग आदि योजनाओं का सफल संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए मदरसा बोर्ड से फोकानिया परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 10 हजार रूपये एवं मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को 15 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजना की सहायता राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सभी जिलों में "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना" तथा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु "बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना" एवं वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कर उसमें कार्यालय, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, कौशल विकास केन्द्र, कोचिंग सेन्टर आदि की व्यवस्था करने हेतु "बिहार राज्य वक्फ विकास योजना" का संचालन किया जा रहा है। "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना" के तहत् वर्ष 2012–13 से अब तक 12 हजार 609 अल्पसंख्यक लाभुकों के स्वरोजगार हेतु लगभग 155 करोड़ रूपये का वितरण किया गया है। कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना अन्तर्गत अब तक 6 हजार 137 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी पूर्ण हो चुकी है। बिहार मंदिर चहारदीवारी योजना अन्तर्गत अबतक 206 योजनाएँ पूर्ण की गई हैं।

राज्य सरकार ने सामाजिक सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लागू किया है। सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू की तथा उसके बाद पूर्ण नशाबंदी का संकल्प लिया है। सभी के सहयोग से शराबबंदी एक सामाजिक अभियान का रूप ले चुका है। शराबबंदी के कारण

परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा पारिवारिक हिंसा, घरेलू कलह एवं सामाजिक अपराध में कमी आई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाल–विवाह एवं दहेज–प्रथा के उन्मूलन हेतु राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इन दोनों अभियानों के सार्थक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

ग्राम पंचायतें अपने दायित्वों का निर्वहन सक्षमतापूर्वक कर सकें, इस हेतु राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपना पंचायत सरकार भवन उपलब्ध कराने की योजना लागू की है। अब तक राज्य के कुल 3 हजार 200 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें से 1 हजार 171 ग्राम पंचायतों के पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

राज्य सरकार भू–विवादों के समाधान के लिए सचेष्ट है। पारिवारिक बंटवारे के निबंधन के लिए राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क को घटाकर मात्र 50 रूपये तथा निबंधन शुल्क को भी घटाकर 50 रूपये किया है। अब लोग अपने पारिवारिक बंटवारे का निबंधन सांकेतिक खर्चे पर करा रहे हैं। ऑनलाईन दाखिल खारिज एवं ऑनलाईन लगान की प्रक्रिया शुरू की गई है तथा भू–अभिलेखों में पारदर्शिता लाने हेतु राज्य के अब तक 3 करोड़ 56 लाख जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा चुका है। बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के कैडस्ट्रल मानचित्रों, 24 जिलों के रिविजनल मानचित्रों एवं 18 जिलों के चकबंदी मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में हवाई फोटोग्राफी का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। राज्य के सभी जिलों में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

बिहार पौराणिक, ऐतिहासिक, सास्कृतिक, धार्मिक विरासतों एवं रमणीक प्राकृतिक सम्पदाओं से समृद्ध राज्य है जहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएँ हैं। श्री गुरू नानक देव जी महाराज का 550वाँ प्रकाश गुरूपर्व तथा श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज का 353वाँ प्रकाश गुरूपर्व का आयोजन क्रमशः राजगीर तथा पटना में किया गया है। चंपारण सत्याग्रह की इस धरती पर दिनांक 02.10.2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित समारोह में देश–विदेश के गांधीवादी विचारकों द्वारा अपना–अपना मंतव्य रखा गया। विश्व शांति स्तूप राजगीर के 50वें वार्षिकोत्सव का आयोजन राजगीर में किया गया जिसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस आयोजन में देश–विदेश के अनेक बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा भाग लिया गया। वर्ष 2019 में राज्य में देशी पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ 39 लाख रही जबकि 10 लाख 93 हजार विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ।

राज्य में सांस्कृतिक निर्माण योजना के तहत प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में 600 क्षमतायुक्त आधुनिक प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी का निर्माण 6 जिलों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत 22 जिलों में 40 एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें वर्तमान में 30 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, जिसके फलस्वरूप अबतक इन केन्द्रों में प्रशिक्षित खिलाड़ियों द्वारा 14 स्वर्ण पदक, 29 रजत पदक एवं 20 कांस्य पदक सहित कुल 63 पदक प्राप्त कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया गया है। वर्ष 2019–20 में पुरातात्विक उत्खनन, अन्वेषण एवं सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत चिरांद (सारण), लारी (अरवल) एवं लाल पहाड़ी (लखीसराय) में अन्वेषण कार्य किया गया है।

बिहार देश का बहु–आपदा प्रवण राज्य है। राज्य सरकार आपदा पीड़ितों को राहत एवं बचाव का हरसंभव मदद पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। विभिन्न आपदाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया गठित कर, आपदा रिस्पांस में मानदंड स्थापित करने में बिहार देश का अग्रणी राज्य है। गत वर्ष जुलाई महीने में भारी वर्षा के कारण उत्तर बिहार के 13 जिलों के लोग बाढ़ से प्रभावित हो गये। उसके बाद बिहार के कई जिले सूखे से प्रभावित हो गये। पुनः सितम्बर महीने में राज्य में हुए भारी वर्षापात के कारण गंगा एवं इसकी कुछ सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ गया जिसके कारण 16 जिलों के लोग प्रभावित हुए। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सहाय्य राशि एवं सूखे से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता राशि दी गई है। अब तक बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित सभी 43,38,117 परिवारों को कुल 2298.21 करोड़ रूपये की सहायता दी गई है। साथ ही सूखे के कारण खरीफ मौसम में खेती नहीं कर पाने वाले तथा बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण फसल क्षति वाले किसानों की सहायता के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु 772.48 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं और अब तक 4.4 लाख किसानों को 205.32 करोड़ रुपये का हस्तांतरण कर दिया गया है। यह राज्य सरकार का संकल्प है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है।

राज्य में आने वाली विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु इसरो के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके तहत इसरो द्वारा उपग्रह के माध्यम से वास्तविक समय में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य में वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गयी है।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं को ऑनलाईन कर दिया गया है। पटना में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु "बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019" लागू की गई है। इसके तहत पुराने डीजल/पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनो एवं व्यवसायिक टैक्सी में सी0एन0जी0 किट लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ई–रिक्शा/ई–कार्ट के परिचालन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से कर में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

राज्य के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को सम्मान पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के आलोक में "बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली–2019" लागू है। इस योजना के तहत 48 वरिष्ठ मीडिया प्रतिनिधियों को लाभान्वित करने की स्वीकृति दी गई है।

मेरे द्वारा आपके समक्ष रखी गयी सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य सरकार जल–जीवन–हरियाली मिशन के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण के लिए तत्पर है। राज्य में साम्प्रदायिक सद्भावना एवं सामाजिक सौहार्द्र का जो माहौल है, उसे कायम रखना है। राज्य सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ–साथ राज्य के सर्वांगीण विकास पर आप सार्थक चर्चा करेंगे जो राज्य के विकास में सहायक होगा। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

।। जय हिन्द ।।

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ ।

(इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय को विदा करने माननीय अध्यक्ष महोदय गये)

टर्न-2/आजाद/24.02.2020

(महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात् पुनः सभा वेश्म में कार्यवाही प्रारंभ)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् सभा की कार्यवाही फिर से प्रारंभ की जाती है । सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, मैं बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों की एक विवरणी पटल पर रखता हूँ जिसमें महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है और इसकी सूचना षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है :-

सभा सचिव: महोदय, मैं बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों की एक विवरणी पटल पर रखता हूँ जिसमें महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है और इसकी सूचना षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है :-

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018	28.10.2019

बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा विगत सत्र में स्वीकृत तदुपरान्त राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक के विवरण का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना ।

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019	07.12.2019
2.	बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) विधेयक, 2019	10.12.2019
3.	बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019	10.12.2019
4.	बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019	10.12.2019
5.	बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018	13.01.2020

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अन्तर्गत अध्यासी सदस्यों का मनोनयन ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को षोडश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँ :-

1. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह - स0वि0स0
2. श्री मोहम्मद नेमतुल्लाह - स0वि0स0
3. श्री रामचन्द्र सहनी - स0वि0स0
4. श्री रामदेव राय - स0वि0स0
5. श्रीमती प्रेमा चौधरी - स0वि0स0

समितियों का गठन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-219(1) के अधीन मैं षोडश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र के लिए कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ :

1.	अध्यक्ष,	बिहार विधान सभा	सभापति
2.	श्री नीतीश कुमार,	मुख्यमंत्री	सदस्य
3.	श्री सुशील कुमार मोदी,	उप मुख्यमंत्री	सदस्य
4.	श्री श्रवण कुमार,	मंत्री, संसदीय कार्य	सदस्य
5.	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,	मंत्री, ऊर्जा	सदस्य
6.	श्री प्रेम कुमार,	मंत्री, कृषि	सदस्य
7.	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,	नेता, विरोधी दल	सदस्य
8.	श्री सदानन्द सिंह,	स0वि0स0	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

1.	श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी	-	स0वि0स0
2.	श्री महबूब आलम	-	स0वि0स0
3.	श्री राजू तिवारी	-	स0वि0स0

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूँ ।

शोक प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है :-

स्वर्गीय प्रो0 डॉ0 अब्दुल गफूर

बिहार विधान सभा के वर्त्तमान सदस्य प्रो0 डॉ0 अब्दुल गफूर का निधन दिनांक 28 जनवरी, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 61 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय गफूर सहरसा जिला के महिषी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995, 2000, 2010 एवं 2015 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे नेक दिल एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय नन्द लाल चौधरी

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नन्द लाल चौधरी का निधन दिनांक 14 जनवरी, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय चौधरी पूर्वी चम्पारण जिला के पिपरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 एवं 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे कर्मठ एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय राम लखन महतो

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम लखन महतो का निधन दिनांक 31 जनवरी, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय महतो समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 एवं नवम्बर, 2005 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे लोकप्रिय एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

सेंट्रल हॉल में 4.00 बजे आप सबों की उपस्थिति हेतु निवेदन के साथ अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

....